JALAUN POLICE

**दिनांक – 06.02.2025**

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

**प्रकरण प्रथम–** अभियुक्त राहुल पाण्डेय पुत्र सुनील कुमार पाण्डेय वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके गलत कृत्य किया गया था जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रामपुरा पर दिनांक 16.12.2016को मु0अ0सं0 303/2016 (वाद संख्या 40/17) धारा 363/366/368/376 भादवि ¾ व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 1- राहुल पाण्डेय पुत्र सुनील कुमार पाण्डेय 2- सुनील पाण्डेय पुत्र श्रीनिवास पाण्डेय निवासीगण ग्राम बिचौली कुठौन्द थाना रामपुरा 3- हरीबाबू पुत्र सुखू 4- रामसखी पत्नी हरीबाबू निवासीगण मु0 राजेन्द्र नगर थाना रामपुरा जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त राहुल को दिनांक 13.04.2017को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 06.07.2017को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 06.02.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1- राहुल पाण्डेय उपरोक्त को दोषी पाते हुये 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 80,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जुर्माने में से 40,000/- रुपये की राशि प्रतिकर स्वरुप पीडिता को प्रदान की जायेगी तथा सुनील पाण्डेय, हरीबाबू व रामसखी को दोषमुक्त किया गया है।